न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 189/2024

1. रमेश पुत्र गोपालसिंह माली
2. रविन्द्र पुत्र गोपालसिंह माली
3. विकम पुत्र गोपालसिंह माली
4. कैलाश पुत्र गोपालसिंह माली

निवासीगण बडलेवाला बेरा,
फूलबाग के पास, मण्डोर
जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र गणपतसिंह
2. हेमसिंह पुत्र गणपतसिंह
3. ललिता पत्नी नरपतसिंह देवडा
4. सरोज पत्नी अर्जुनसिंह देवडा

जातियान माली, निवासी गोपी का बेरा,
मण्डोर, जोधपुर

5. राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर दिनांक 02 मार्च 2022 प्रकरण संख्या 20/2021 लक्ष्मणसिंह देवडा बनाम सरकार

उपस्थित–
श्री सुधीर गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 4
रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 09 अक्तूबर, 2024

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2021 लक्ष्मणसिंह देवडा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. संख्या 1 की ओर से एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम मण्डोर प्रथम स्थित आराजी खसरा संख्या 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1705, 1707, 1708, 1709, 17232, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1730/1, 1733 व 1734 बाबत वसीयत दिनांक 22 जनवरी 2021 के आधार पर म्युटेशन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 मार्च 2022 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में शांतिदेवी के नाम दर्ज नहीं रही है, बिना मालिकाना अधिकार के शांतिदेवी द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर भूल की गयी है। वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट्स के भी अधिकार निहित है, मगर विचारण न्यायालय में उन्हें पक्षकार संयोजित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिसकी जानकारी सर्वप्रथम अपीलाण्ट्स को रेस्पो. द्वारा वसीयतनामा के आधार पर भूमि स्वयं के नाम हो जाने के आधार पर बेचान/हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी देने व दिनांक 22 अप्रेल 2024 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने पर हुई।

अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और 2003(1) आरआरटी 650, 2011–12(पूरक) आरआरटी 246, 2012(2) आरआरटी 1412, 2016(2) आरआरटी 1099, 2009 आरआरडी 101 आदि नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है, पक्षकारान के हक–हकूक का

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विनिश्चयन नियमित वाद के जरिये ही किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद की कार्यवाही से संबंधित अपील संख्या 4048/2022/जोधपुर हेमसिंह व अन्य बनाम रमेश आदि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। वसीयत की वैधता के संबंध में विनिश्चयन करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को उपलब्ध है, राजस्व न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है। आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं अपूर्ण तथ्यों के आधार पर पेश किया जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र में अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी कब, किसके माध्यम से किस प्रकार हुई, आदि तथ्यों को स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है और न ही सर्वप्रथम जानकारी का कोई निश्चित समय–बिन्दु अंकित किया गया है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं अपूर्ण तथ्यों के आधार पर पेश किया जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। जिससे आलौच्य अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त आराजियात बाबत शांतिदेवी द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर पारित किया गया है। यदि उक्त वसीयत की वैधता के संबंध में अपीलाण्ट्स को कोई उज्र–एतराज है तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। वसीयत की वैधता के संबंध में विनिश्चयन करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को उपलब्ध है, राजस्व न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है। अदालत हाजा अधिवक्ता–रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य से सहमत है कि म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है, पक्षकारान के हक–हकूक का विनिश्चयन नियमित वाद के जरिये ही किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य नियमित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व वाद की कार्यवाही से संबंधित अपील संख्या 4048/2022/जोधपुर हेमसिंह व अन्य बनाम रमेश आदि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन होने के तथ्य का भी कोई खण्डन नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में वर्तमान अपील स्तर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 मार्च 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर